

पेपर - 8: अप्रत्यक्ष कर कानून

- (i) इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देना अनिवार्य है और शेष 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं।
- (ii) वर्किंग नोट्स को उत्तरों से संबद्ध होना चाहिए।
- (iii) सभी प्रश्नों का उत्तर (i) जीएसटी कानून की स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए, जैसा कि 31.10.2022 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों द्वारा संशोधित किया गया है और (ii) वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क कानून और महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों को जारी किया गया है। 31.10.2022.

प्रश्न 1

वासुदेव खनन ठेकेदार हैं। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजीकरण की सीमा पार कर ली है और अब वह गुजरात राज्य में जीएसटी के तहत विधिवत पंजीकृत हैं। उन्होंने अप्रैल, 2023 के महीने के दौरान निम्नलिखित लेनदेन किए हैं:

क्रमांक संख्या	विवरण	आपूर्ति का मूल्य (करों को छोड़कर)
(a)	वासुदेव अलियाबेट ऑयलफील्ड, भावनगर, गुजरात में खनन और अन्वेषण सेवाओं में एक परिचालन सदस्य हैं। उन्होंने उसी स्थान पर संयुक्त उद्यम (जेवी) को कुछ सेवाएं प्रदान की हैं, जिसमें वह भी सदस्य हैं। उनका मानना है कि संयुक्त उद्यम से प्राप्त प्रतिफल 'लागत वसूली' है और कर योग्य नहीं है।	15,00,000
(b)	उन्होंने अलीबेट ऑयलफील्ड में संयुक्त उद्यम को सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र से कुछ मशीनरी खरीदी है।	8,00,000
(c)	उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अहमदाबाद, गुजरात के एक वरिष्ठ वकील से पेशेवर सेवाएं प्राप्त की हैं।	1,50,000
(d)	उन्हें गुजरात राज्य सरकार द्वारा अलीबेट ऑयलफील्ड के समुद्री तट के करीब किराए पर एक कार्यालय आवंटित किया गया था।	2,50,000

(e)	अलीबेट ऑयलफील्ड में पेट्रोलियम भंडार की खोज के दौरान उन्हें मुआवजे के हिस्से के रूप में पेट्रोलियम गाद (जीएसटी के तहत गैर कर योग्य) का एक हिस्सा मिला - जो सरकार के साथ अनुबंध के अनुसार 'लागत पेट्रोलियम' का हिस्सा है।	8,00,000
(f)	वह पेट्रोलियम गाद (जीएसटी के तहत गैर-कर योग्य) को भावनगर, गुजरात में एक एसईजेड डेवलपर को बेचता है। उन्होंने पहले ही जीएसटी के तहत एल्यूटी दाखिल कर दिया है।	7,50,000
(g)	अनुबंध की शर्तों के अनुसार न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि से पहले 3 कर्मचारियों द्वारा रोजगार छोड़ने की स्थिति में बांड राशि की वसूली के संबंध में विचार प्राप्त हुआ।	75,000
(h)	गुजरात में किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण पर विचार प्राप्त हुआ, जो वासुदेव के अनुसार जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि इसे स्टाम्प शुल्क का सामना करना पड़ा है।	7,00,000
(i)	खनन क्षेत्र में खनिजों के परिवहन के लिए चालक सहित 5 डंपरों को 2 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर लेने हेतु खनन पट्टा धारकों से विचार प्राप्त हुआ।	5,00,000
(i)	उन्हें सरकार की ओर से खनन का अधिकार सौंपा गया है और रॉयल्टी भुगतान के विरुद्ध आईजीएसटी की राशि ₹3,00,000 है।	

अतिरिक्त जानकारी:

- (1) वासुदेव ने शून्य रेटेड आपूर्ति के तहत लाभ का दावा करने के लिए बांड/एल्यूटी दाखिल किया है।
- (2) मान लें कि माल की आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दरें 2.5% और आईजीएसटी दर 5% है।
- (3) मान लें कि सेवाओं की आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दरें 9% और आईजीएसटी दर 18% हैं।
- (4) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (एसजीएसटी) में ₹34,000 का प्रारंभिक शेष है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (आईजीएसटी) में ₹15,000, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (सीजीएसटी) में ₹50,000, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (एसजीएसटी) में ₹9,000 का आईटीसी आगे लाया गया था।

उपरोक्त विवरण से, अप्रैल, 2023 के महीने के लिए वासुदेव द्वारा नकद में देय न्यूनतम शुद्ध जीएसटी (सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जैसा भी मामला हो) की गणना करें। वर्किंग नोट्स आपके उत्तर का हिस्सा बनने चाहिए।

(14 अंक)

उत्तर

नकद में देय कर की गणना

क्रमांक संख्या	विवरण	राशि (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	IGST (₹)
ए।	बाहरी आपूर्ति पर जीएसटी देयता				
(i)	संयुक्त उद्यम के परिचालन सदस्य के रूप में प्रदान की गई सेवाओं पर विचार [ऑपरेटिंग सदस्य संयुक्त उद्यम को खनन और अन्वेषण सेवा प्रदान कर रहा है, और इस प्रकार, प्राप्त प्रतिफल लागत पेट्रोलियम नहीं है और इसलिए, कर के लिए उत्तरदायी है।]	15,00,000	1,35,000 (15,00,000 x 9%)	1,35,000 (15,00,000 x 9%)	
(ii)	पेट्रोलियम गाद के रूप में प्राप्त मुआवजा, जो सरकार के साथ अनुबंध के अनुसार, लागत पेट्रोलियम का हिस्सा है [पेट्रोलियम की लागत सरकार की सेवा के लिए विचारणीय नहीं है और इस प्रकार, कर योग्य नहीं है।]	8,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	एसईजेड डेवलपर को पेट्रोलियम गाद की बिक्री [एसईजेड डेवलपर को आपूर्ति एक बांड/एल्यूटी के तहत की गई शून्य-रेटेड आपूर्ति है और इस पर कोई कर देय नहीं है।]	7,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	निर्धारित अवधि से पहले रोजगार छोड़ने वाले कर्मचारियों से बांड राशि वसूली जाएगी [कोई आपूर्ति नहीं है क्योंकि बरामद की गई बांड राशि इस तरह के समय से पहले रोजगार	75,000	शून्य	शून्य	शून्य

	छोड़ने के कृत्य को सहन करने के लिए प्रतिफल नहीं है।]				
(v)	किरायेदारी अधिकारों का हस्तांतरण ¹ [किरायेदारी प्रीमियम के रूप में प्रतिफल के विरुद्ध नए किरायेदार को किरायेदारी अधिकारों का हस्तांतरण कर योग्य है, भले ही उस पर स्टॉप शुल्क का भुगतान किया गया हो।]	7,00,000	63,000 (7,00,000 x 9%)	63,000 (7,00,000 x 9%)	
(vi)	ड्राइवर सहित डंपरों का किराया ² [करयोग्य.]	5,00,000	45,000 (5,00,000 x 9%)	45,000 (5,00,000 x 9%)	
बाहरी आपूर्ति पर कुल कर देनदारी			2,43,000	2,43,000	

बी।	रिवर्स चार्ज (आरसीएम) के तहत आवक आपूर्ति पर जीएसटी देयता				
(i)	वासुदेव अर्थात एक व्यावसायिक इकाई को वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक सेवाएँ	1,50,000	13,500 (1,50,000 x 9%)	13,500 (1,50,000 x 9%)	
(ii)	राज्य सरकार द्वारा वासुदेव (एक पंजीकृत व्यक्ति) को प्रदान किया गया कार्यालय किराये पर लेना	2,50,000	22,500 (2,50,000 x 9%)	22,500 (2,50,000 x 9%)	
(iii)	सरकार द्वारा वासुदेव (एक पंजीकृत व्यक्ति) को खनन का अधिकार सौंपना				3,00,000

¹ यह माना जाता है कि जिस अचल संपत्ति के संबंध में किरायेदारी अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं, वह एक वाणिज्यिक संपत्ति है और वह गुजरात में स्थित है।

² खनन पट्टाधारकों को ड्राइवर सहित डंपर किराए पर देना एक अंतर-राज्य लेनदेन माना गया है। वैकल्पिक रूप से, यह मानना भी संभव है कि उक्त लेनदेन एक अंतर-राज्यीय लेनदेन है। उस स्थिति में, ₹90,000 का IGST चार्ज किया जाएगा।

रिवर्स चार्ज के तहत आवक आपूर्ति पर कुल कर देयता			36,000	36,000	3,00,000
सी।	इनपुट कर क्रेडिट				
(i)	प्रारंभिक राशि			50,000	9,000
(ii)	मशीनरी की अंतरराज्यीय खरीद	चूंकि वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग शून्य रेटेड आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, इसलिए उस पर पूर्ण आईटीसी की अनुमति दी जाएगी।	8,00,000		40,000 (8,00,000 x 5%)
(iii)	वरिष्ठ अधिवक्ता से व्यावसायिक सेवाएँ ³		1,50,000	13,500 (1,50,000 x 9%)	13,500 (1,50,000 x 9%)
(iv)	कार्यालय का किराया		2,50,000	22,500 (2,50,000 x 9%)	22,500 (2,50,000 x 9%)
(v)	खनन अधिकार का समनुदेशन			—	—
कुल ITC			86,000	45,000	3,55,000
नोट: [शून्य रेटेड आपूर्ति करने के लिए आईटीसी का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही ऐसी आपूर्ति छूट वाली आपूर्ति हो। पेट्रोलियम गाद की बिक्री, एक गैर-कर योग्य आपूर्ति होने के कारण, एक छूट वाली आपूर्ति है, लेकिन चूंकि यह एक शून्य-रेटेड आपूर्ति भी है, इसलिए ऐसी आपूर्ति करने के लिए आईटीसी का लाभ उठाया जा सकता है।]					

³ यह सबसे तार्किक रूप से माना गया है कि वकील से प्राप्त पेशेवर सेवाएँ कानूनी सेवाओं की प्रकृति में हैं।

डॉ।	नकद में देय कर की गणना				
	बाहरी आपूर्ति पर कुल कर देनदारी		2,43,000	2,43,000	
	घटाएँ: आईजीएसटी का आईटीसी टिप्पणियाँ : आईजीएसटी की आईटीसी का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी से पहले किया जाएगा		1,57,000	1,98,000	
	घटाएँ: सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी		86,000 (सीजीएसटी)	45,000 (एसजीएसटी)	
	जोड़: रिवर्स चार्ज देयता आईटीसी के सेट-ऑफ के बिना नकद में देय है [प्रतिलोम प्रभार के तहत देय कर, आउटपुट टैक्स नहीं होने के कारण, आईटीसी के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, नकद में भुगतान करना होगा]		36,000	36,000	3,00,000
	नकद में देय कुल कर देनदारी		36,000	36,000	3,00,000
	घटाएँ: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का शेष		_____	(-)34,000	_____
	नकद में देय शुद्ध न्यूनतम कर देनदारी		36,000	2,000	3,00,000

प्रश्न 2

(a) जीएसटी कानून के तहत लुधियाना (पंजाब) में एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, मैसर्स दिवा फैशन (मालिक सुश्री दिवा) ने फरवरी 2023 के महीने में निम्नलिखित आपूर्ति की है:

(i) बुटीक के साथ ₹ 25,00,000 की राशि के अनुबंध के अनुसार मुंबई (महाराष्ट्र) में एक बुटीक को डिजाइनर बक्सों में पैक डिजाइनर रेशमी पोशाकों की आपूर्ति।

- (ii) अमृतसर (पंजाब) में श्रीमती अरोड़ा को 6,00,000 रुपये की 600 किट (प्रत्येक किट 1,000 रुपये) की आपूर्ति। प्रत्येक किट में 1 रेशम दुपट्टा, 1 साड़ी ब्रोच और 1 लिपस्टिक शामिल थी।
- (iii) मैसर्स दिवा फैशन्स ने चंडीगढ़ में एक फैशन शो का आयोजन किया। जयपुर (राजस्थान) में एक पंजीकृत संस्था, सिय्योन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने इस शो को प्रायोजित किया है, जिसके लिए मैसर्स दिवा फैशन को 7,50,000 रुपये मिले।
- (iv) मैसर्स दिवा फैशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्राहकों को 200 किट मुफ्त उपहार के रूप में दिए गए हैं। प्रत्येक किट में 1 रेशम दुपट्टा और 1 साड़ी ब्रोच शामिल है। प्रत्येक किट की लागत ₹350 है। सामान की ऐसी किट और समान प्रकार और गुणवत्ता के सामान का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है। किट में रखे सामान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है।
- (v) सुश्री दिवा द्वारा अपनी स्वतंत्र विवाहित बहन को दिल्ली में अपना बुटीक स्थापित करने के लिए व्यावसायिक सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की गईं। ऐसी सेवाएँ प्रदान करने की लागत ₹1,00,000 है, लेकिन ऐसी सेवाओं और समान प्रकार और गुणवत्ता की सेवाओं का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।
- (vi) मैसर्स दिवा फैशन्स ने 1 फरवरी, 2021 को एक स्थानीय मॉडल मिस शिखा के साथ 3 साल के लिए अपने उत्पादों के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करने के लिए ₹1 लाख (जीएसटी को छोड़कर - 18% आईजीएसटी, 9) का अनुबंध किया। % सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक) प्रति वर्ष। कुमारी शिखा ने 2 फरवरी 2023 को अनुबंध समाप्त कर दिया। अनुबंध के अनुसार, मैसर्स दिवा फैशन को मिस शिखा को भुगतान की गई कुल अनुबंध फीस का 25% प्राप्त हुआ क्योंकि अनुबंध 15 फरवरी, 2023 को 3 साल से पहले समाप्त हो गया है। अनुबंध समाप्ति के समय मिस शिखा को 2 वर्षों के लिए अनुबंध शुल्क प्राप्त हुआ था।

अन्य जानकारी नीचे दी गयी है -

- (a) उपरोक्त सभी राशियाँ जीएसटी से अलग हैं।
- (b) श्रीमती अरोड़ा ने मैसर्स दिवा फैशन को भुगतान में देरी के लिए ₹ 8,850 (जीएसटी सहित) का ब्याज दिया।
- (c) जीएसटी की दरों को निम्नानुसार मानें:

क्रमांक संख्या	विवरण	IGST की दर	CGST की दर	SGST की दर
1	रेशम के कपड़े	18%	9%	9%
2	डिजाइनर बक्से	28%	14%	14%
3	रेशम का दुपट्टा	12%	6%	6%
4	साड़ी ब्रोच	18%	9%	9%
5	लिपस्टिक	5%	2.5%	2.5%
6	सियोन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से प्रायोजन प्राप्त हुआ	28%	14%	14%
7	पेशेवर सेवाएं	18%	9%	9%

उपरोक्त जानकारी से, फरवरी 2023 महीने के लिए मेसर्स दिवा फैशन की कुल जीएसटी देनदारी की गणना करें। वर्किंग नोट्स आपके उत्तर का हिस्सा बनने चाहिए। (9 अंक)

- (b) मुंबई की एबीसी इंडस्ट्रीज ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ सामान आयात किया। आयात के संबंध में किए गए व्यवय नीचे दिए गए हैं:

माल की लागत	\$ 40,000
शिपमेंट के लिए निर्यातक के कारखाने से बंदरगाह तक परिवहन शुल्क	\$ 800
अमेरिका से भारत तक माल टुलाई शुल्क	\$ 5,000
भारत में बंदरगाह पर एबीसी इंडस्ट्रीज द्वारा लाइटरेज शुल्क का भुगतान किया जाता है	₹ 12,000
अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में प्रवेश के बंदरगाह से माल टुलाई	₹ 40,000
आयात के भारतीय बंदरगाह पर जहाज विलंबशुल्क शुल्क का भुगतान किया जाता है	₹ 12,000
एबीसी इंडस्ट्रीज ने उन सामानों के लिए आवश्यक डिजाइनिंग शुल्क लिया, जिनका भुगतान नई दिल्ली में WOW डिजाइनरों को किया गया था।	₹ 75,000

प्रवेश बिल की तिथि 16.02.2023 है (बीसीडी की दर 20%, सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर ₹70 प्रति अमेरिकी डॉलर है)

आवक प्रवेश की तिथि 16.03.2023 (बीसीडी की दर 10%, सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर ₹75 प्रति यूएस\$ है)

एसडब्ल्यूएस दर 10% है और आईजीएसटी की दर 12% है। आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य, मूल सीमा शुल्क और आईजीएसटी की गणना करें। जीएसटी मुआवजा उपकर पर ध्यान न दें। (5 अंक)

उत्तर

(a) फरवरी, 2023 महीने के लिए मेसर्स दिवा फैशन की कुल जीएसटी देनदारी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	राशि (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	IGST (₹)
डिज़ाइनर बक्सों में रेशम के परिधानों की आपूर्ति [चूंकि डिज़ाइनर बक्सों में रेशम के कपड़े की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से बंडल की जाती है, यह एक समग्र आपूर्ति है जिसे प्रमुख आपूर्ति (अर्थात् रेशम के कपड़े) की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। तदनुसार, मूल आपूर्ति की दर, यानी रेशम के कपड़े का शुल्क लिया जाएगा।]	25,00,000			4,50,000 [25,00,000 x 18%]
रेशम दुपट्टा, साड़ी ब्रोच और लिपस्टिक की किट की आपूर्ति [चूंकि आपूर्ति स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं की जाती है और एक ही कीमत ली जा रही है, यह एक मिश्रित आपूर्ति है। इसे उस विशेष आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाता है जिस पर उच्चतम कर दर लगती है (यानी, साड़ी ब्रोच)।]	6,00,000	54,000 [6,00,000 x 9%]	54,000 [6,00,000 x 9%]	

चूँकि प्रायोजन सेवाएँ एक कॉर्पोरेट निकाय - सिय्योन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को प्रदान की जाती हैं, प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत कर देय होता है।	7,50,000			शून्य
ग्राहकों को मुफ्त उपहार [कोई आपूर्ति नहीं है क्योंकि यह बिना प्रतिफल के की गई है और अनुसूची I में भी शामिल नहीं है क्योंकि ग्राहक संबंधित व्यक्ति नहीं हैं।]	शून्य			
व्यावसायिक सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की गईं [कोई आपूर्ति नहीं है क्योंकि यह बिना प्रतिफल के की गई है और अनुसूची I में भी शामिल नहीं है क्योंकि बहन स्वतंत्र होने के कारण संबंधित व्यक्ति नहीं है।]	शून्य			
अनुबंध की समाप्ति के लिए प्राप्त शुल्क ['परिसमाप्त क्षति' होने के कारण, वे केवल अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान का मुआवजा हैं, न कि अनुबंध के गैर-निष्पादन को सहन करने का प्रतिफल।]	शून्य			
विलंबित भुगतान के लिए प्राप्त ब्याज (जीएसटी को छोड़कर)	7,500 [8,850 x 100/118]	675 [7,500 x 9%]	675 [7,500 x 9%]	

[मूल आपूर्ति के मूल्य में शामिल। इसके अलावा, चूंकि यह फरवरी में ही प्राप्त होता है, आपूर्ति का समय वह है जब यह प्राप्त होता है अर्थात फरवरी।]				
GST देयता		54,675	54,675	4,50,000

(b) निर्धारण योग्य मूल्य, मूल सीमा शुल्क और देय आईजीएसटी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	राशि (\$)
माल की लागत	40,000
पोर्ट तक परिवहन शुल्क	800
डिजाइनिंग शुल्क [भारत में शुरू होने के बाद से इसमें शामिल नहीं है।]	-
एफओबी मूल्य	40,800
	राशि (₹)
भारतीय रुपये में एफओबी मूल्य @ ₹70/- प्रति डॉलर [एंट्री बिल की प्रस्तुति की तिथि पर सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर विचार किया जाता है]	28,56,000
भारत तक मालभाड़ा प्रभार [US\$ 5,000 x ₹ 70]	3,50,000
आयातक द्वारा भुगतान किया गया लाइटरेज शुल्क [परिवहन की लागत में हल्का शुल्क शामिल है।]	12,000
जहाज विलंब शुल्क [परिवहन की लागत में जहाज विलंब शुल्क शामिल है]	12,000
अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में प्रवेश के बंदरगाह से माल ढुलाई [आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं]	शून्य
बीमा शुल्क एफओबी मूल्य का 1.125%	<u>32,130</u>

[बीमा शुल्क एफओबी मूल्य का 1.125% शामिल है क्योंकि वे सुनिश्चित नहीं हैं।]	
आकलन योग्य मूल्य	32,62,130
जोड़ें मूल सीमा शुल्क @ 10% [प्रवेश के बिल की प्रस्तुति की तारीख या अंदर प्रवेश की तारीख पर प्रचलित दर, जो भी बाद में हो।]	3,26,213
जोड़ें समाज कल्याण सरचार्ज @ 10%	<u>32,621.30</u>
कुल	36,20,964.30
जोड़ें आईजीएसटी @ 12% ₹ 36,20,964.30	4,34,515.72 या 4,34,516 (पूर्णांक करना)

प्रश्न 3

(a) संक्षेप में बताएं कि क्या प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति के नीचे उल्लिखित स्वतंत्र मामले जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के तहत छूट या कर योग्य हैं, जिसमें इसके तहत जारी अधिसूचनाएं भी शामिल हैं:

(i) हिमालयन वांडरर्स कैंपसाइट, जो कि जीएसटी के तहत एक पंजीकृत इकाई है, ने पर्यटकों और ट्रैकर्स को ठहरने के लिए शिमला में विभिन्न टेंट लगाए हैं। 8 दिसंबर, 2022 को हिमालयन वांडरर्स कैंपसाइट द्वारा किराए पर लिए गए टेंटों का विवरण इस प्रकार है:

किराए पर लिए गए टेंटों की संख्या	प्रति दिन प्रति तंबू लिए गए किराये की राशि	अधिभोग की प्रकृति
10	₹ 600	अकेला
15	₹ 1,000	दोहरा

(ii) फेबल्स इन्फोटेक एलएलपी, एक सीमित देयता भागीदारी फर्म, जिसका जीएसटी के तहत हैदराबाद में व्यवसाय का स्थान पंजीकृत है, ने रात की पाली में काम करने वाली अपनी महिला कर्मचारियों के परिवहन के लिए 1 वर्ष के लिए वातानुकूलित

मिनी वैन प्रदान करने के लिए नीता सर्विसेज के साथ एक अनुबंध किया है। सप्ताहांत को छोड़कर हर दिन रात 9.00 बजे निर्दिष्ट स्थानों से और कार्यालय के लिए प्रस्थान किया। उन्हीं महिला कर्मचारियों को सप्ताहांत को छोड़कर हर सुबह 6.30 बजे कार्यालय से उठाया जाता था और वापस उन्हीं स्थानों पर छोड़ दिया जाता था जहां से उन्हें उठाया गया था।

- (iii) जीएसटी के तहत पंजीकृत हमतुम सर्विसेज लिमिटेड ने फरवरी, 2023 के महीने में प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान बलजतन आंगनवाड़ी को 2,50,000 रुपये की खानपान सेवाएं प्रदान कीं।
- (iv) प्रबंधन पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा करने वाली विभिन्न शहरों की 50 महिलाओं ने आईआईएम, बैंगलोर द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए 9 महीने की अवधि के लिए डिज़ाइन किए गए 'लीडरशिप प्रोग्राम' में भाग लिया (कार्यक्रम पूरा होने के बाद उनमें से प्रत्येक को उनकी भागीदारी के लिए एक प्रमाण पत्र दिया गया था) ।
- (v) श्री अशोक ने अपने आवासीय फ्लैट को अपने मित्र डॉ. किशोर को, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, अपने मेडिकल क्लिनिक के रूप में उपयोग करने के लिए ₹15,000 के मासिक किराए पर किराए पर दिया।

(5 अंक)

- (b) श्री एक्स, एक व्यापारी जो केवल वस्तुओं की आपूर्ति का कारोबार करता है और सामान्य योजना के तहत कर का भुगतान करता है (यह भी संयोजन योजना के लिए पात्र है), आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है। आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी योजना उनके लिए अधिक फायदेमंद होगी और क्या श्री एक्स को कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहिए। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं:

विशेष	राशि (₹)
पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से माल की आवक आपूर्ति (जीएसटी को छोड़कर राशि और जीएसटी की सामान्य दर पर 12% की दर से प्रभार्य माल)	70,00,000
अपंजीकृत ग्राहकों को माल की बाहरी आपूर्ति (जीएसटी सहित माल की बिक्री मूल्य) - जीएसटी की सामान्य दर @12% है	90,00,000

अन्य जानकारी नीचे दी गई है:

- (i) दोनों योजनाओं के तहत निहित प्रकृति व्यय ₹4,50,000 प्रति वर्ष।
- (ii) सामान्य योजना के तहत खाता रखरखाव की लागत ₹2,00,000 वार्षिक होगी जबकि संरचना योजना के तहत यह ₹75,000 वार्षिक होगी।
- (iii) सामान्य योजना के तहत रिटर्न दाखिल करने का खर्च ₹48,000 वार्षिक होगा जबकि कंपोजीशन योजना के तहत यह ₹12,000 वार्षिक होगा। **(4 अंक)**
- (c) आयातक श्री एम खेल के सामान के आयात और वितरण में लगे हुए हैं। वह मलेशिया के मिस्टर क्यू से खेल उत्पाद आयात करता है और इसे "टूस्पीड" ब्रांड नाम से बेचता है। उत्पाद को प्रचारित करने के लिए, श्री एम ने उत्पाद के एएमपी (विज्ञापन, विपणन और प्रचार) पर खर्च किया।
- विभाग ने तर्क दिया कि एम द्वारा किए गए एएमपी खर्चों को आयातित वस्तुओं के मूल्य में जोड़ा जाना आवश्यक था। क्या विभाग का तर्क सही है? **(5 अंक)**

उत्तर

- (a) (i) **करयोग्य:** चूंकि, ठहरने के प्रयोजनों के लिए कैंपसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में छूट वापस ले ली गई है। इस प्रकार, ठहरने के उद्देश्य से कैंपसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कोई विशेष छूट नहीं है, हिमालयन वांडरर्स कैंपसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के लिए उत्तरदायी हैं।
- (ii) **करयोग्य:** नीता सर्विसेज द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रियों के परिवहन की सेवा जीएसटी के लिए उत्तरदायी है क्योंकि ऐसी सेवाएं एक अनुबंध गाड़ी में प्रदान की जा रही हैं जो वातानुकूलित है।
- (iii) **छूट:** चूंकि प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं, हमतुम सर्विसेज लिमिटेड जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- (iv) **करयोग्य:** चूंकि आईआईएम द्वारा प्रदान किया जाने वाला अल्पावधि कार्यक्रम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई योग्यता नहीं है, इसलिए दिए गए मामले में जीएसटी देय है।
- (iv) **करयोग्य:** चूंकि आवासीय आवास निवास के अलावा अन्य उपयोग के लिए किराए पर दिया जाता है, इसलिए उस पर जीएसटी देय है।

(b)

विवरण (ब्यौरा)	कंपोजिशन योजना (₹)	नियमित योजना (₹)
जीएसटी कानून के तहत देय कर	90,000 [₹ 90,00,000 × 1%]	9,64,286 [₹ 80,35,714* × 12%]
घटाएँ: आवक आपूर्ति पर आईटीसी	कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति किसी भी आईटीसी का हकदार नहीं है।	<u>8,40,000</u> [₹ 70,00,000 × 12%]
जीएसटी कानून के तहत देय शुद्ध राशि	90,000 [लागत का हिस्सा है]	1,24,286
अंतर्निहित व्यय	4,50,000	4,50,000
जोड़ें: लेखा पुस्तकों के रखरखाव की लागत	75,000	2,00,000
जोड़ें: रिटर्न दाखिल करने का खर्च	12,000	48,000
जोड़ें: आवक आपूर्ति की लागत	<u>78,40,000</u>	<u>70,00,000</u>
कुल सम्मिलित लागत	<u>84,67,000</u>	<u>76,98,000</u>
विक्रयागम	<u>90,00,000</u>	<u>80,35,714</u>
लाभ मार्जिन (बिक्री आय कम कुल लागत)	<u>5,33,000</u>	<u>3,37,714</u>

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्री एक्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए अधिक फायदेमंद है।⁴⁵

*नोट- जीएसटी को छोड़कर बाहरी आपूर्ति = ₹ 80,35,714.29 (₹ 90,00,000 × 100/112)

- (c) विभाग का यह तर्क कि एम द्वारा किए गए एएमपी व्यय को आयातित वस्तुओं के मूल्य में जोड़ा जाना आवश्यक था, सही नहीं था।

एक न्यायिक घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि ब्रांड के प्रचार के लिए आयातक द्वारा किए गए एएमपी खर्च निम्नलिखित आधारों पर आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं हैं:

समझौते में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि बिक्री/आयात की शर्त के रूप में, आयातित माल के चालान मूल्य की एक निश्चित राशि/प्रतिशत, निर्धारिती द्वारा एएमपी के लिए खर्च करने के लिए बाध्य था।

यह करदाता द्वारा अपने स्वयं के खाते पर की गई आयात के बाद की गतिविधि थी, न कि बिक्री की शर्तों के तहत विक्रेता के किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए।

निर्धारिती आयातक अपने द्वारा किए गए व्यय का कोई भी हिसाब निर्यातक को देने के लिए बाध्य नहीं था, जब तक कि ऐसा व्यय प्रतिपूर्ति की शर्त के तहत निर्यातक के अनुरोध पर नहीं किया गया था।

प्रश्न 4

- (a) एवरयंग मैन्युफैक्चरर्स एलएलपी, जीएसटी के तहत एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, गुजरात राज्य के भीतर आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है। यह जनवरी, 2023 महीने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है

जनवरी, 2023 माह का विवरण	CGST की दर	SGST की दर	आपूर्ति का मूल्य (जीएसटी को छोड़कर)

⁴ यह माना गया है कि अंतर्निहित खर्चों, खाता रखरखाव लागत और रिटर्न दाखिल करने के खर्चों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है।

⁵ वैकल्पिक प्रस्तुतियाँ/उत्तर संभव हैं।

त्वचा देखभाल उत्पादों की बाहरी आपूर्ति	2.5%	2.5%	50,00,000
त्वचा देखभाल उत्पादों की बाहरी आपूर्ति	6%	6%	50,000
त्वचा देखभाल उत्पादों के लिए इनपुट की आवक आपूर्ति	6%	6%	35,00,000
इनपुट सेवाओं की आवक आपूर्ति	2.5%	2.5%	5,00,000
पूंजीगत वस्तुओं की आवक आपूर्ति	9%	9%	25,00,000

अन्य सूचना:

(a) जैसा कि ऊपर दिया गया है, सभी प्रकार की आवक आपूर्ति के संबंध में आईटीसी का दावा संबंधित जीएसटीआर 3बी में किया गया था और इसे जीएसटीआर 2बी में भी दर्शाया गया था।

(b) रिफंड का दावा करने के लिए अन्य सभी शर्तों का विधिवत पालन किया जाता है।

(c) जनवरी 2023 के महीने के लिए कोई रिफंड का दावा नहीं किया गया।

आपसे अनुरोध है कि उल्टे शुल्क संरचना के लिए पात्र 'अधिकतम रिफंड राशि' की गणना करें। वर्किंग नोट्स आपके उत्तर का हिस्सा बनने चाहिए। **(5 अंक)**

(b) निम्नलिखित स्वतंत्र मामलों में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता है या नहीं, इसका कारण सहित निर्णय लें:

A. एसवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है, को दिल्ली से गुरुग्राम (हरियाणा) में विभिन्न ग्राहक स्थानों पर वारंटी के तहत बदले जाने वाले एलईडी टीवी के हिस्सों की एक खेप भेजने की आवश्यकता है। माल के साथ डिलीवरी चालान में घोषित खेप का मूल्य 65,000 है। एसवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का दावा है कि चूंकि गुरुग्राम (हरियाणा) में माल की आवाजाही आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से होती है, इसलिए इस मामले में ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य नहीं है। आपको एसवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किए गए दावे की तकनीकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है।

B. केरल में पंजीकृत ट्री लिमिटेड, तमिलनाडु में अपने जॉब वर्कर वुड्स एंड कंपनी को माल भेजता है, जो जीएसटी के तहत भी पंजीकृत है। खेप का मूल्य ₹37,500 (जीएसटी सहित) था। **(4 अंक)**

- (c) भारत के कस्टम अधिकारियों ने देखा कि देश में आयातित सोलर पीवी उत्पादों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसलिए, महानिदेशक (विशिष्ट सुरक्षा) की सिफारिश पर, केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सौर पीवी उत्पादों के आयात पर 25% की दर से सुरक्षा शुल्क लगाया।

एबीसी एक्सपोर्ट्स, भुवनेश्वर में एक आयातक ने वियतनाम से सोलर पीवी उत्पादों का आयातित मूल्य (शुल्कों को छोड़कर) ₹30 लाख पर किया। मान लें कि धारा 3(7) के तहत आईजीएसटी 12% है, बीसीडी 10% है और एसडब्ल्यूएस @10% है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत देय कुल शुल्क निर्धारित करें। कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकरण की उपेक्षा करें।

यदि एबीसी एक्सपोर्ट्स एक एसईजेड इकाई है तो क्या इससे आपका उत्तर बदल जाएगा? लागू प्रावधानों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें। (5 अंक)

उत्तर

(a)

विवरण (ब्यौरा)				
उल्टे शुल्क ढांचे के कारण रिफंड के मामले में, आईटीसी का रिफंड निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार दिया जाता है:				
अधिकतम धनवापसी राशि	(वस्तुओं और सेवाओं की उलटी रेटेड आपूर्ति का कारोबार)	नेट - आ ईटी सी	माल और सेवाओं की ऐसी उलटी रेटेड आपूर्ति पर देय कर	नेट आईटीसी इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी का लाभ उठाया गया
= $\frac{\text{समायोजित कुल टर्नओवर}}{\text{कुल टर्नओवर}}$		× $\frac{\text{आईटीसी का लाभ उठाया गया}}{\text{आईटीसी का लाभ उठाया गया}}$		
(i) वस्तुओं और सेवाओं की उलटी रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर = 50,00,000				
(6% से कम दर वाले उत्पाद पर विचार किया जाएगा)				

(ii) समायोजित कुल कारोबार $50,00,000 + 50,000 = 50,50,000$	
(iii) नेट आईटीसी: इसका मतलब है कि आईटीसी केवल 3500000 इनपुट पर उपलब्ध है @ 12% = 4,20,000	
इनपुट सेवा और पूंजीगत वस्तुओं की आईटीसी पर विचार नहीं किया जाएगा।	
(iv) वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी उलटी रेटेड आपूर्ति पर देय कर 2,50,000 $[(50,00,000 \times 5\%)$	
(v) इनपुट पर आईटीसी का लाभ उठाया गया $[(35,00,000 \times 12\%) = 4,20,000$	
(vi) इनपुट सेवाओं पर आईटीसी का लाभ उठाया गया $[(5,00,000 \times 5\%)] = 25,000$	
दिए गए मामले में 'अधिकतम रिफंड राशि' पात्र है	$\frac{50,00,000}{50,50,000} \times 4,20,000 - 2,50,000 \times \frac{4,20,000}{4,45,000}$
= ₹1,79,887 (पूर्णांकित) (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कुल)	
या	
₹89,943.50 + ₹89,943.50 प्रत्येक (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत)	

- (b) A. एसवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया दावा सही नहीं है। एसवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ई-वे बिल जारी करने की जरूरत है।

जब भी आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से माल की आवाजाही होती है, तो ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है, बशर्ते खेप मूल्य ₹50,000 से अधिक हो।

- B. प्रिंसिपल द्वारा जॉब-वर्कर को माल के अंतर-राज्य हस्तांतरण के मामले में, खेप के मूल्य की परवाह किए बिना ई-वे बिल अनिवार्य रूप से जारी किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार, केरल में पंजीकृत ट्री लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु में वुड्स एंड कंपनी को माल के हस्तांतरण के मामले में ई-वे बिल जारी करना आवश्यक है।

(c) सीमा शुल्क अधिनियम के तहत देय कुल कर्तव्यों की गणना

विशेष	राशि (₹)
सोलर पीवी उत्पादों की अनुमानित कीमत	30,00,000
जोड़ें: मूल सीमा शुल्क @10% (₹30,00,000 × 10%)	3,00,000
जोड़ें: ₹30,00,000 पर रक्षोपाय शुल्क @25%	7,50,000
जोड़ें: सामाजिक कल्याण अधिभार @ 10% पर ₹3,00,000	<u>30,000</u>
कुल	40,80,000
आईजीएसटी (₹ 40,80,000 × 12%) [आईजीएसटी की गणना के मूल्य में सुरक्षा शुल्क राशि भी शामिल है।]	4,89,600
देय कुल सीमा शुल्क (₹ 3,00,000 + ₹ 7,50,000 + ₹ 30,000 + ₹ 4,89,600)	15,69,600

सुरक्षा उपाय एसईजेड इकाई द्वारा आयातित वस्तुओं पर लागू नहीं होते हैं जब तक कि विशेष रूप से लागू नहीं किया जाता है या आयातित वस्तु को डीटीए में मंजूरी दे दी गई वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार, यदि एबीसी एक्सपोर्ट्स एक एसईजेड इकाई है, तो सुरक्षा शुल्क उस पर लागू नहीं होगा और देय शुल्क की कुल राशि ₹7,29,600 होगी।⁶ (3,00,000 बीसीडी + 30,000 एसडब्ल्यूएस + 3,99,600 आईजीएसटी)

प्रश्न 5

(a) केके प्राइवेट लिमिटेड ने मई 2022 के महीने के लिए अपनी कर देनदारी का स्व-मूल्यांकन 1,15,000 रुपये किया, लेकिन भुगतान करने में विफल रही।

इसके बाद विभाग ने जीएसटी का भुगतान न करने पर धारा 73 के तहत जुर्माना वसूलने के लिए केके प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही शुरू की और 12 सितंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो 17 सितंबर 2022 को केके प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ।

⁶ यह सबसे तर्कसंगत रूप से माना गया है कि एबीसी एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित वस्तु को डीटीए में मंजूरी दे दी गई वस्तुओं के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है।

केके प्राइवेट लिमिटेड ने 27 सितंबर 2022 को ब्याज सहित टैक्स जमा किया और उसी दिन विभाग को सूचित किया।

विभाग का तर्क है कि वह 57,500 (अर्थात 1,15,000 का 50%) का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।

सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विभाग द्वारा लिए गए रुख की शुद्धता की जांच करें। संक्षेप में प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करें। (5 अंक)

- (b) श्री राज जयपुर में एक नया विनिर्माण व्यवसाय शुरू करने का इरादा रखते हैं। हालाँकि, वह अपने द्वारा निर्मित और आपूर्ति की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं का वर्गीकरण निर्धारित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उक्त वस्तुओं का वर्गीकरण विवादास्पद रहा है। श्री राज ने अखबार में एडवांस रूलिंग के बारे में एक लेख पढ़ा और बाद में मुकदमेबाजी से बचने के लिए एडवांस रूलिंग के लिए आवेदन करने का फैसला किया।

श्री राहुल, जो श्री के मित्र हैं। राज उन वस्तुओं की आपूर्ति में भी जुटा हुआ है, जो मिस्टर. राज ने जयपुर में विनिर्माण का प्रस्ताव रखा है और श्री. राहुल ने उन्हें सलाह दी कि वे उसी वर्गीकरण को अपनाएं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उक्त वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया है।

मिस्टर राज के टैक्स सलाहकार भी मिस्टर राहुल की सलाह से सहमत थे। श्री राज ने भी इसे एक अच्छा निर्णय माना क्योंकि वह अपंजीकृत थे और उन्होंने सोचा कि उनके नाम पर अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।

आपको निम्नलिखित के संबंध में श्री राज को सलाह देनी होगी:

- (a) क्या श्री राज और उनके कर सलाहकार सही हैं और क्या वे अपने मित्र श्री राहुल के अग्रिम निर्णय आदेश के आधार पर श्री राज द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं?
- (b) क्या राज को अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकृत होने की आवश्यकता है? (4 अंक)
- (c) श्री नोडी, उम्र 40 वर्ष और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक, मुंबई में रहने वाले अपने भारतीय मित्र से मिलने के लिए 1 महीने के लिए भारत की एकल यात्रा पर हैं। वह अपने साथ सामान के रूप में निम्नलिखित वस्तुएं ले जाते हैं:

विवरण (ब्यौरा)	रुपये में मूल्य
प्रयुक्त व्यक्तिगत प्रभाव	80,000
अन्य वस्तुएं व्यक्तिगत रूप से ले जायी गयी	1,00,000
आग्नेयास्त्रों के 65 कारतूस @ 1,000 प्रति कारतूस	65,000
150 ग्राम तम्बाकू @ ₹10 प्रति ग्राम	1,500
चल दूरभाष	50,000
प्रत्येक 100 रुपये के 50 सिगार	5,000
दान के लिए अपने नवजात शिशु के व्यक्तिगत सामान का उपयोग किया	10,000

बैंगेज नियम 2016 के संदर्भ में, बैंगेज नियमों के तहत या अन्यथा तालिका में प्रत्येक आइटम के संबंध में कर योग्यता और कर योग्य मूल्य इंगित करें। सामान पर देय सीमा शुल्क की गणना भी कानून के अनुसार निकटतम रुपये में करें। कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकरण की उपेक्षा करें।

(5 अंक)

उत्तर

- (a) विभाग द्वारा लिया गया यह रुख कि वह ₹57,500 का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है, सही नहीं है।

दिए गए मामले में, चूंकि केके प्राइवेट लिमिटेड ने मई, 2022 के महीने के लिए स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान देय तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया है, इसलिए देय जुर्माना निम्नलिखित में से अधिक होगा:

- (a) कर का 10%,

या

- (b) ₹ 10,000

इसलिए दिए गए मामले में

₹ 11,500 (₹ 1,15,000 x 10%)

या

₹ 10,000

यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत ₹11,500 प्रत्येक

- (b) (a) नहीं, श्री राज और उनके कर सलाहकार सही नहीं हैं।

अग्रिम निर्णय केवल उस आवेदक पर और संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी होता है जिसने इसकी मांग की थी। अग्रिम निर्णय राज्य में समान रूप से रखे गए अन्य कर योग्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।

इस प्रकार, श्री राज अपने मित्र श्री राहुल के अग्रिम निर्णय आदेश के आधार पर उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं को वर्गीकृत नहीं कर सकते।

- (b) नहीं, श्री राज को अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अग्रिम निर्णय एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकरण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है। अग्रिम निर्णय चाहने वाले व्यक्ति के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।

(c)

		बैगेज नियमों के तहत कर योग्य मूल्य
प्रयुक्त व्यक्तिगत प्रभाव	[शुल्क मुक्त अनुमति]	निल
अन्य वस्तुएं व्यक्तिगत रूप से ले जायी गयीं	कराधीन	1,00,000
आग्नेयास्त्र के 50 कारतूस		50,000 (50 x ₹ 1,000)
125 ग्राम तम्बाकू		1,250 (125 ग्राम x 10)
चल दूरभाष		50,000
प्रत्येक 100 रुपये के 25 सिगार		2,500 (25 सिगार x 100)
अपने नवजात शिशु के व्यक्तिगत प्रभावों का उपयोग किया	[करयोग्य.]	<u>10,000</u>
कुल		2,13,750
घटाएँ: सामान्य निःशुल्क भत्ता		<u>15,000</u>
सामान जिस पर 38.50% शुल्क देय है (10% सामाजिक कल्याण अधिभार सहित)		1,98,750

सामान पर देय शुल्क ⁷	76,519 (राउंड ऑफ)
---------------------------------	----------------------

प्रश्न 6

- (a) मेसर्स ब्लू बेरी ट्रेडर्स, जीएसटी के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति, ने 1 अगस्त, 2022 को मेसर्स ब्लू लैंगून ट्रेडर्स को माल या सेवाओं की किसी भी अंतर्निहित आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की 30 लाख रुपये की कर चालान जारी की।

मेसर्स ब्लू लैंगून ट्रेडर्स उक्त टैक्स इनवॉइस के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाता है। विभाग ने 1 अप्रैल, 2023 को मेसर्स ब्लू लैंगून ट्रेडर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें धारा 50 के तहत देय ब्याज और लागू जुर्माने के साथ कर की राशि निर्दिष्ट की गई। मेसर्स ब्लू लैंगून ट्रेडर्स ने 15 अप्रैल, 2023 को कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट धारा 50 के तहत देय ब्याज और लागू जुर्माने के साथ कर की राशि का भुगतान किया।

प्रासंगिक प्रावधान को संक्षेप में समझाएं और उपर्युक्त लेनदेन के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत मेसर्स ब्लू बेरी ट्रेडर्स और मेसर्स ब्लू लैंगून ट्रेडर्स द्वारा भुगतान की जाने वाली जुर्माने की राशि निर्धारित करें।

या

श्री जंबो ने अपीलीय प्राधिकरण के एक आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी, जहां मुद्दा आपूर्ति के स्थान से संबंधित था। अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश भी विभाग के पक्ष में आया। श्री जंबो अब अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा उठाया गया रुख सही है।

आपको अपीलीय प्राधिकरण से अधिक अपीलीय मंच के समक्ष अपील दायर करने के संबंध में उसे उपयुक्त रूप से सलाह देने की आवश्यकता है।

(4 अंक)

- (b) जीएसटी के तहत रिटर्न की जांच के लिए उचित अधिकारियों को क्या शक्तियां उपलब्ध हैं? सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत रिटर्न की जांच करते समय उचित अधिकारी ने मेसर्स आर कुमार प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी के तहत पंजीकृत) द्वारा दाखिल रिटर्न में विसंगति का पता लगाया। मेसर्स आर कुमार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उचित

⁷ 50 से अधिक आग्नेयास्त्रों के कारतूस, 125 ग्राम से अधिक तंबाकू और 25 से अधिक सिगार पर अधिसूचना संख्या 26/2016 सीमा शुल्क के तहत सामान पर लागू 38.50% की दर नहीं लगेगी। दिनांक 31.03.2016. दिनांक 31.03.2016] इन मदों पर सीमा शुल्क शुल्क के शीर्षक 9803 के अंतर्गत सामान पर लागू 100% की दर से प्रभारित किया जाता है।

स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उचित अधिकारी द्वारा क्या सहारा लिया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें (5 अंक)

- (c) भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत सरकार को कर, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क लगाने का अधिकार है? आपको भारत के संविधान के तहत संबंधित प्रावधानों और प्रतिबंधों पर एक नोट लिखना होगा। (5 अंक)

उत्तर

- (a) चूंकि मेसर्स ब्लू बेरी ट्रेडर्स ने जीएसटी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना चालान जारी किया है, इसलिए यह निम्नलिखित में से अधिक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा-

(a) ₹ 10,000 या

(बी) पारित आईटीसी की राशि,

तो दिए गए मामले में, जुर्माना अधिक है:

(a) ₹ 10,000 , या

(b) ₹. 30 lakh

यानी ₹30 लाख

प्रत्येक सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत⁸

जहां धोखाधड़ी आदि के कारण आईटीसी के गलत लाभ और उपयोग के कारण कर का आरोप लगाने वाला कोई भी व्यक्ति नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर धारा 50 के तहत देय ब्याज और ऐसे कर के 25% के बराबर जुर्माने के साथ उक्त कर का भुगतान करता है। उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

इस प्रकार, मेसर्स ब्लू लैंगून ट्रेडर्स को सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत ₹7,50,000 (₹30 लाख x 25%) प्रत्येक का जुर्माना देना होगा।

⁸ चूंकि प्रश्न में छात्रों को सीजीएसटी अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले दंड का निर्धारण करने की आवश्यकता है, इसलिए यह माना गया है कि प्रश्न में प्रदान की गई आईटीसी की राशि भी केवल सीजीएसटी के संबंध में है और तदनुसार देय दंड की राशि की गणना की गई है।

वैकल्पिक (a) चूंकि श्री जंबो की अपील में शामिल मुद्दा आपूर्ति के स्थान से संबंधित है, इसलिए उनके मामले में अपील का फैसला किया जाएगा।

(i) ट्रिब्यूनल की राष्ट्रीय पीठ।

(ii) ट्रिब्यूनल की क्षेत्रीय पीठ।

राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पीठ के फैसले के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

इस प्रकार, दिए गए मामले में श्री जंबो को अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी होगी।

(b) उचित अधिकारी रिटर्न की सत्यता को सत्यापित करने और देखी गई विसंगतियों के बारे में सूचित करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है।

यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उचित अधिकारी निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक का सहारा ले सकता है, अर्थात्:

(a) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 के तहत ऑडिट करने के लिए आगे बढ़ें

(b) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा आयोजित विशेष ऑडिट आयोजित करने के लिए आगे बढ़ें

(c) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के तहत निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की प्रक्रियाएं अपनाएं।

(d) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73/74 के तहत कर और अन्य बकाया राशि के निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू करें

(c) ⁹ संविधान में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा।

संघ सूची की प्रविष्टि 83 या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I ने संघ को निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क लगाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी है।

संविधान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कुछ आपूर्ति पर कर लगाने पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार प्रदान करता है-

⁹ संविधान का अनुच्छेद 265

किसी राज्य का कोई भी कानून माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, जहाँ ऐसी आपूर्ति होती है, कर लागू या अधिरोपित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा-

- (a) राज्य के बाहर, या
- (b) भारत के क्षेत्र में और/या बाहर वस्तुओं या सेवाओं के आयात और/या निर्यात के दौरान

यह पूरी तरह से संघ, यानी भारत की संसद के पास है।